न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 96/2022

प्रार्थीगण

1. हिम्मतसिंह पुत्र तेजसिंहजी, जाति–राजपूत, निवासी–भेव, तहसील–शिवगंज, जिला–सिरोही
2. श्रीमती सुभद्रा कुंवर पत्नि श्री हिम्मतसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–भेव, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

ग्राम पंचायत, भेव जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, भेव, तहसील–शिवगंज, जिला–सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा, प्रार्थी की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 22 सितम्बर, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, भेव द्वारा प्रार्थीगण (निगरानीकार) श्रीमती सुभद्रा कुंवर पत्नि श्री हिम्मतसिंह राजपूत व श्री हिम्मतसिंह पुत्र श्री तेजसिंह राजपूत, निवासी– भेव के पट्टा बनाने हेतु प्रस्तुत आवेदनों को खारिज/निरस्त करने के संबंध में ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 06.12.2021 में पारित निर्णय व प्रार्थीगण को उनके पट्टा आवेदनों को खारिज/निरस्त करने के संबंध में जारी पत्र क्रमांकःग्रा.पं.भेव/2022/194–195 दिनांक 22.3.2022 को निरस्त करवाने हेतु अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी कियां गया। जिस पर निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान नियत सुनवाई तिथी 14.10.2022 को ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, भेव ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। तत्पश्चात प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 25.11.2022 को ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, भेव ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की। तत्पश्चात सुनवाई तिथि 06.1.2023 को ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, भेव ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर ग्राम पंचायत, भेव के पत्र क्रमांकःग्रा.पं. भेव/2022/04 दिनांक 05.1.2023 से लिखित जवाब प्रस्तुत किया, उसके बाद अप्रार्थी ग्राम पंचायत, भेव की ओर से कोई उपस्थिति नही हुआ।

(3) बहस सुनीं गई। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री आढा ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि ग्राम भेव, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में प्रार्थी हिम्मतसिंह के पुश्तैनी मालकी स्वामित्व व कब्जे भोगोटे को एक भूखण्ड आया हुआ है, जिस पर वर्तमान में पिछले 29 वर्ष से प्रार्थी सुभद्रा कुंवर भी प्रार्थी हिम्मतसिंह के साथ संयुक्त रूप से काबिज है एवं प्रत्यर्थीगण उक्त भुखण्ड का अपने आपको मालिक जताते व बताते काबिज है। उक्त भूखण्ड की चतुर्दशी अनुसार पूर्व में रास्ता 18 फीट, पश्चिम में पंचायत की [illegible] दक्षिण में आम रास्ता है व नाप 50X70 कुल 3500 वर्गफीट है। उक्त [illegible] चारों ओर दीवार की हुई है तथा प्रार्थीगण द्वारा गेट [illegible] की

......पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 15:45:04 IST
Reason: SelfAttested

स्वामित्व का सामान पड़ा है। इस प्रकार, प्रार्थीगण कदीम से उक्त भूखण्ड का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। उक्त भूखण्ड के पूर्व दिशा में कपूराराम जाति वागरी का भूखण्ड था। ग्रामवासियों के आवागमन में असुविधा होने पर प्रार्थीगण ने अपने कब्जेशुदा भूखण्ड में से 18 फुट भूमि रास्ते के रूप में छोड़ी थी जो प्रार्थीगण के भूखण्ड के पूर्व दिशा में वर्तमान में रास्ते की रूप में उपयोग आ रही है। ग्राम पंचायत, भेव का गठन होने के पूर्व गाँव भेव, ग्राम पंचायत बागसीन के क्षेत्राधिकार में था। प्रार्थीगण ने अपने उपरोक्त वर्णित भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक 16—10—2007 को ग्राम पंचायत, बागसीन को प्रस्तुत किया था एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समग्र रूपये 60—60 जमा करवाये थे, जिसकी नियमानुसार रसीद ग्राम पंचायत बागसीन द्वारा आवेदन शुल्क, नजरी नक्शा शुल्क एवं मौका निरीक्षण शुल्क प्राप्त कर दिनांक 29.10.2007 को जारी की थी। लम्बे समय तक प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत बागसीन को पट्टा बनाने हेतु निवेदन किया, लेकिन सरपंच द्वारा आयन्दा पट्टा जारी करने का आश्वासन दिया जाता रहा और पट्टा प्रार्थीगण के पक्ष में जारी नहीं किया। उसके पश्चात ग्राम पंचायत, भेव का गठन हुआ, तब प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत भेव में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त करने व पट्टा जारी करने हेतु निवेदन किया तो ग्राम पंचायत भेव द्वारा प्रार्थीगण को लम्बे समय तक विश्वास में रखा कि ग्राम पंचायत, बागसीन से प्राप्त रेकर्ड में से आपका आवेदन ढूंढ कर नियमानुसार पट्टा जारी कर दिया जावेगा। उसके बाद भी लम्बे समय तक पट्टा जारी नहीं किया और अन्त में ग्राम पंचायत भेव द्वारा प्रार्थीगण को यह बताया गया कि आप द्वारा ग्राम पंचायत, बागसीन में जमा करवाई गयी पत्रावली नहीं मिल रही है, आप दूसरा आवेदन प्रस्तुत करे, जिस पर हम नियमानुसार पट्टा जारी करने की कार्यवाही करेंगे, तब प्रार्थीगण की ओर से पुनः ग्राम पंचायत, भेव को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और ग्राम पंचायत भेव द्वारा पुनः पट्टा आवेदन शुल्क के संबंध में 60/— रूपये प्रत्येक पत्रावली के हिसाब से कुल 120/— रूपये प्राप्त कर प्रार्थीगण के नाम से दिनाक 11.11.2021 को रसीदे जारी की गई। उक्त रसीद काटने के पूर्व प्रार्थीगण की ओर से सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत दिनांक 04.3.2020 को दर्ज करवाई थी, जिस पर संबंधित अधिकारी को जांच हेतु प्रेषित की गई थी एवं ग्राम पंचायत द्वारा यह अवगत करवाया कि प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत में आवेदन जमा नहीं करवाया है। यदि परिवादी द्वारा आवेदन जमा करवाया जाये तो ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार डी.एल.सी. दर लेकर पट्टा बनाने की कार्यवाही की जायेगी और प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर परिवाद का निस्तारण कर दिया। उसके पश्चात् परिवादी द्वारा पुनः दिनांक 24.7.2020 को परिवाद सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज करवाया। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा गलत रूप से आपसी भाईयों का विवाद बताकर तथा प्रार्थीगण से दस्तावेज की मांग करने का उल्लेख करना बताया, जिस पर प्रार्थीगण की ओर से किसी प्रकार का कोई नोटिस प्राप्त होना नहीं बताया एवं उक्त प्रकरण का भी गलत रूप से निस्तारण किया। उसके पश्चांत् प्रार्थीगण ने दिनाक 11.11 2021 को पुनः पट्टा जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये और दिनांक 17.11.2021 को प्रशासन गाँवों के संग अभियान में भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन उस पर भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की गई। उसके पश्चात प्रार्थीगण की ओर से दिनाक 29.12.2021 को पुनः सम्पर्क पोर्टल पर परिवाद दर्ज करवाया, जिस पर ग्राम पंचायत ने गलत रूप से यह उल्लेख किया कि प्रार्थीगण की ओर से आवेदन में चतुर्दशी नहीं दर्शायी है, इस हेतु परिवादी को नोटिस देकर भूमि का मौका निरीक्षण करवाने हेतु सूचित कर दिया है तथा मौका निरीक्षण के बाद पट्टा बनाने की कार्यवाही की जायेगी। [illegible] ग्राम पंचायत द्वारा देने पर पुनः परिवाद का निस्तारण किया गया, [illegible] प्रार्थीगण ने दिनांक 18.02.2022 को उक्त प्रकरण को पुनः re-open [illegible] का निवेदन किया,

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 15:45:04 IST
Reason: SelfAttested

लेकिन उस पर भी कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गयी। उसके बाद ग्राम पंचायत, भेव ने पत्र क्रमांकःग्रा.पं.भेव / 2022 / 194—195 दिनांक 22.3.2022 के द्वारा प्रार्थीगण के पट्टा आवेदनों को निरस्त / खारिज करने के संबंध प्रार्थीगण को सूचित किया कि ग्राम पंचायत की सामान्य बैठक दिनांक 06.12.2021 को प्रार्थीगण की दोनो मिसलें प्रस्तुत हुई और उक्त भूमि को गाँव के आम चौहटे की भूमि होना मानते हुए तथा सुभदा कुंवर व हिम्मतसिंह का ग्राम भेव में बहुत बड़ा मकान होने का मानते पट्टा बनाने के संबंध में प्रेषित पत्रावली निरस्त करने का पत्र जारी किया। जबकि प्रार्थीगण द्वारा सम्पर्क पोर्टल पर जो शिकायत दर्ज करवाई थी उसमें ग्राम पंचायत द्वारा 04.1.2022 को रिपोर्ट देकर यह अवगत करवाया था कि आवेदन में भूमि की चतुर्दशी नहीं दर्शायी है। भूमि की सही स्थिति की जानकारी नहीं हो पा रही है, इस हेतु परिवादी को नोटिस देकर भूमि का मौका निरीक्षण करवाने हेतु सूचित कर दिया है। मौका निरीक्षण बाद यदि भूमि आबादी के अन्तर्गत तथा विवाद रहित है तो पट्टा बनाने की कार्यवाही की जायेगी। इस प्रकार, ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पत्र से यह पूर्णतया प्रमाणित होता है कि दिनांक 04.1.2022 तक उक्त भूमि के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पत्रावलियों पर कोई निर्णय पारित किया गया था, लेकिन उसके पश्चात् पुरानी तिथि दिनांक 06.12.2021 को बैठक में दोनों मिसल प्रस्तुत होने व खारिज करने का उल्लेख इस पत्र दिनांक 22.3.2022 में किया गया है जिससे यह पूर्णतया प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने पिछली तारीख की बैठक में कुटरचना कर गलत रूप से उक्त आदेश दिनांक 06.12.2021 को खारिज होने का पत्र दिनांक 22.03.2022 में उल्लेख किया है। प्रार्थीगण को पत्र दिनांक 22.03.2022 प्राप्त होने पर उन्होंने अपने अधिवक्ता श्री हिम्मत बनेरा के मार्फत अप्रार्थी को दिनांक 11.04.2022 व दिनांक 13.04. 2022 को नोटिस प्रेषित किया, लेकिन उसका भी कोई प्रत्युत्तर अप्रार्थी द्वारा नहीं दिया गया। उसके पश्चात् अप्रार्थीगण ने दिनांक 25.5.2022 को सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 06.12.2021 में लिए प्रस्ताव की नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन आज तक कोई सूचना प्रार्थीगण को नहीं दी है। दिनांक 25.5.2022 को प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र ऑनलाईन दर्ज करवाया जिसका क्रमांक 429584782499052 है, लेकिन आज तक नकल प्रार्थीगण को उपलब्ध नही करवाई है। उक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थीगण के मालकी स्वामित्व की सम्पत्ति है, जिस पर प्रार्थीगण कदीम से काबिज है, जिसकी जानकारी अप्रार्थी को भलीभाँति है। इस प्रकार के ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में कई लोगो के पुराने कब्जे है तथा कई मकानात पुराने बने हेतु है जिन पर राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों व अधिसूचनाओं के आधार पर वे पट्टा प्राप्त करने के अधिकार रखते है। इसी प्रकार, उक्त वर्णित भूखण्ड प्रार्थीगण के एक मात्र कब्जे मालकी व स्वामित्व की है, जिस पर राजस्थान पंचायती राज नियमों के तहत राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार प्रार्थीगण पट्टा अपने हक में जारी करवाने की पात्रता रखते है, लेकिन इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अप्रार्थी द्वारा प्राथीगण की ओर से पट्टा जारी करने के संबंध में प्रस्तुत पत्रावलीयों को गलत रूप से पिछली तारीखों में पंचायत की सामान्य बैठक में कुटरचना कर पत्रावली निरस्त किया गया है। अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, भेव द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे मालिकी व स्वामित्व के भूखण्ड़ के पट्टा बनवाने के आवेदनों को खारिज करने के संबंध में ग्राम पंचायत की सामान्य बैठक में पारित निर्णय दिनांक 06.12.2021 व प्रार्थीगण को उनके पट्टा आवेदनों को खारिज करने के संबंध में जारी पत्र क्रमांकःग्रा.प.भेव / 2022 / 194—195 दिनांक 22.3.2022 निरस्त किया जावे एवं ग्राम पंचायत, भेव को प्रार्थीगण के हक में नियमानुसार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत पट्टा जारी करने हेतु निर्देशित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 15:45:04 IST
Reason: SelfAttested

....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय * सिरोही *

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतियों व दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, भेव के पत्र क्रमांकःग्रा.पं. भेव/2022/194—195 दिनांक 22.3.2022 से प्रार्थीगण (निगरानीकार) श्रीमती सुभद्रा कुंवर पत्नि श्री हिम्मतसिंह राजपूत व श्री हिम्मतसिंह पुत्र श्री तेजसिंह राजपूत, निवासी— भेव को यह सूचित किया गया है कि ''श्रीमती सुभद्रा कुंवर पत्नि हिम्मतसिंह राजपूत ने दिनांक 11.11.2021 को रसीद संख्या 77 द्वारा पट्टा बनाने हेतु आवेदन किया व श्री हिम्मतसिंह पुत्र तेजसिंह द्वारा दिनांक 11.11.2021 को रसीद संख्या 79 के द्वारा पट्टा बनवाने हेतु आवेदन किया गया। पंचायत सामान्य बैठक दिनांक 06.12.2021 को उक्त दोनों मिसल पेश हुई, मौका निरीक्षण कमेटी की रिपोर्ट अनुसार श्रीमति सुभद्रा कुंवर पत्नि हिम्मतसिंह राजपूत व श्री हिम्मतसिंह पुत्र तेजसिंह राजपूत ने जिस भूमि का पट्टा बनाने हेतु आवेदन किया है जो उनकी पुश्तैनी भूमि नही है, इनके द्वारा चुनाव के समय सीमेन्ट की ईटों से दीवाकर निकालकर अतिक्रमण किया हुआ है, श्रीमती सुभद्रा कुंवर पत्नि हिम्मतसिंह व श्री हिम्मतसिंह पुत्र तेजसिंह राजपूत का पुश्तैनी मकान ग्राम भेव में बहुत बडा है, इनका पट्टा बनाने से ग्रामीणेां के आवागमन एवं सौन्दर्य, सुन्दरता एवं ग्रामीणों का हक मारा जाता है, अतः सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि उक्त पट्टा बनाने की पत्रावली को खारिज/निरस्त किया जाता है।''

इस संबंध में प्रार्थीगण का मुख्यतः कथन यह है कि ''प्रश्नगत भूखण्ड प्रार्थीगण के पुश्तैनी मालकी स्वामित्व व कब्जे भोगवटे का है, जिसका पट्टा बनवाने हेतु दिनांक पुराने कब्जे भोगवटे व स्वामित्व का है।'' जबकि ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, भेव के पत्र क्रमांकःग्रा.पं.भेव/2022/04 दिनांक 05.1.2023 के द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया गया है कि ''हिम्मत सिंह पुत्र तेजसिंह राजपूत व श्रीमति सुभद्रा कुंवर पत्नि हिम्मत सिंह राजपूत, निवासी— भेव द्वारा जिस भूमि का पट्टा बनवाने हेतु आवेदन किया है वह भूमि गांव के आम चौहटे की भूमि है जिस पर चुनाव के समय सीमेन्ट (ब्लॉक) की ईंटों से दीवार बनाकर अतिक्रमण किया गया है जो नाप बताया गया है उस पर सीमेन्ट की ईटों से दीवार बनाकर अतिक्रमण किया गया है। इस आम चौहटे के भूखण्ड पर हिम्मत सिंह व सुभद्रा कंवर का कोई सामान पडा हुआ नहीं है, न कभी इस भूखण्ड का उपयोग किया, यह भूखण्ड आम चौहटे की भूमि है जिस पर ग्रामीण बैठक एवं अन्य सामाजिक धार्मिक आयोजन करते आ रहे हैं। आम चौहटे पर सीसी रोड किया हुआ है, भूखण्ड के चारो ओर सीमेन्ट सड़क है जिस भूखण्ड को अपना कब्जा बता रहे है उस भूखण्ड का इनके पास कोई वैधानिक कागजात नहीं है।''

प्रार्थीगण ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के संबंध में प्रश्नगत भूखण्ड पर पुराना पुश्तैनी कब्जा होने के संबंध में किसी प्रकार की कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है, जबकि ग्राम पंचायत, भेव द्वारा प्रस्तुत संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी श्री हिम्मतसिंह पुत्र तेजसिंह जी, जाति— राजपूत, निवासी— भेव एवं श्रीमती सुभद्रा कुंवर पतिन हिम्मतसिंह, जाति— राजपूत, निवासी— भेव द्वारा ग्राम पंचायत, भेव में दिनांक 11.11.2021 को भूखण्ड का पट्टा बनवाने हेतु अलग अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये। जिस पर ग्राम पंचायत, भेव द्वारा दोनों आवेदकों के प्रार्थना पत्र पर अलग अलग मिसल दायर की गई जिसके मिसल दायर संख्या क्रमशः 156 दिनांक 15.11.2021 एवं 158 दिनांक 15.11.2021 है। ग्राम पंचायत, भेव द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 146 के तहत तीन वार्ड पंचों की कमेटी गठित कर [illegible] मौका निरीक्षण करवाया गया। वार्ड पंचों द्वारा दिनांक 06.12.2021 [illegible] भूखण्ड का मौका निरीक्षण कर अलग अलग मौका निरीक्षण रिपोर्ट [illegible] गई,

....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 15:45:04 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

जिनमें यह अंकित किया है कि प्रार्थी/प्रार्थीया के गांव में 1.00 बीघा जमीन पक्का मकान है। प्रार्थी का मकसद सरकारी भूमि हडपना एवं अतिक्रमण करना है, आम चौहटे की भूमि व ग्राम के लोगों के बैठक व अन्य आयोजन होते है। ग्राम पंचायत, भेव में वार्ड पंचों की मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद ग्राम पंचायत, भेव की बैठक दिनांक 06.12.2021 में प्रस्ताव संख्या 6 के द्वारा दोनों आवेदकों द्वारा प्रस्तुत पट्टा आवेदन पत्रावलियों को निरस्त/खारिज करने का निर्णय पारित करते हुए ग्राम पंचायत, भेव के प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 06.12.2021 की पालना में प्रार्थीगण को उनके पट्टा बनाने के आवेदनों को खारिज करने के संबंध में नोटिस क्रमांकःग्रा.पं. भेव/2022/194–195 दिनांक 22.3.2022 के द्वारा सूचित किया गया है। इस प्रकार, ग्राम पंचायत, भेव के संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूखण्ड़ से संबंधित भूमि आम चौहटे की भूमि है, जिस पर ग्राम के धार्मिक कार्यक्रम आयोजित है तथा ग्रामीणों के आवागमन हेतु उपयोग में आती है एवं प्रश्नगत भूखण्ड़ का पट्टा जारी किये जाने से ग्राम के सौन्दर्य एवं सफाई पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। साथ ही चुंकि यह सुस्थापित तथ्य है, कि प्रश्नगत भूखण्ड प्रार्थीगण के स्वामित्व का नही होकर ग्राम पंचायत, भेव की सार्वजनिक भूमि है, जिसका उपयोग, उपभोग एवं व्ययन नियमानुसार किये जाने के लिये पूर्णतया स्वतंत्र है, कोई भी व्यक्ति यह दावा नही कर सकता कि ग्राम पंचायत उक्त भूखण्ड़ उसे डी.एल.सी. दर पर या अन्य तरीके से विक्रय कर दे। ऐसी स्थिति में, हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थीगण सारहीन होने एवं भलीभांति साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थीगण अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थी सारहीन होने एवं भलीभांति साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22 सितम्बर, 2023 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. भास्कर विश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 15:45:04 IST
Reason: SelfAttested